न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

निर्णय दिनांकः–13.08.2022

मि0नं0 96/22

उनवान

1– कौशल किशोर आत्मज रामकरण जाति मीना निवासी रतनपुरा बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से– श्री रघुवीर सिंह अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

संक्षेप में मामला यह है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 319 की 1.64 हे0, खसरा नम्बर 330 की 1.34 है0, व खसरा नम्बर 943/1396 की 0.14 हेक्टर कुल तीन किता की 3.12 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि वादी का नाम कौशल किशोर है तथा गांव में कौशल बोलते है, वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में वादी का नाम कौशल किशोर अंकित है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कौशल किशोर के स्थान पर कौशल दर्ज कर रखा है। उक्त भूमि वादी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई है, जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा दर्ज है। इस कारण वादी को खाद बीज व ऋण लेने में परेशानी हो रही है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 319 की 1.64 हे0, खसरा नम्बर 330 की 1.34 है0, व खसरा नम्बर 943/1396 की 0.14 हेक्टर कुल तीन किता की 3.12 हेक्टर भूमि में वादी का नाम कौशल के स्थान पर कौशल किशोर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की डिक्री पारित की जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद से जवाब सरकार लिया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार कौशल व कौशल किशोर एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंषा की है कि वादीनी का नाम कौशल के स्थान पर कौशल किशोर दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडौद तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 319 की 1.64 है0, खसरा नम्बर 330 की 1.34 है0, व खसरा नम्बर 943/1396 की 0.14 हेक्टर कुल तीन किता की 3.12 हेक्टर भूमि में वादी का नाम कौशल के स्थान पर कौशल किशोर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– कौशल किशोर आत्मज रामकरण जाति मीना निवासी रतनपुरा बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से– श्री रघुवीर सिंह अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद
वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नम्बर 96/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब मिनजानिब मुद्दालय न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडौद तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 319 की 1.64 हे0, खसरा नम्बर 330 की 1.34 है0, व खसरा नम्बर 943/1396 की 0.14 हेक्टर कुल तीन कित। की 3.12 हेक्टर भूमि में वादी का नाम कौशल के स्थान पर कौशल किशोर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.08.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	[illegible]	0	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned by CamScanner